न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी, श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या – 92/2024
जीसीएमएस सं. – 2024/2023

–:: वादी ::–
गोरव चावला पुत्र जबरसिंह जाति खटीक निवासी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–
1. ओगड़राम पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2. गीतादेवी पत्नि सुखराम जाति मेघवाल निवासी रियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 25.07.2024

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री बक्तावरसिंह जाखड़ , अधिवक्ता वादी
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक : 24.09.2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में वादी तथा प्रतिवादीगण सं. एक व दो की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद भूमि आयी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
574	886	3.1227 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	कुल खसरा 01	कुल रकबा 3.1227 हैक्टयर	
1262	887	2.7830 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	888	2.5807 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	कुल खसरा 02	कुल रकबा 5.3637 हैक्टयर	
573	885	1.9740 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	कुल खसरा 01	कुल रकबा 1.9740 हैक्टयर	

उपरोक्त वर्णित आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वाद पत्र के पद सं. एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 886 रकबा 3.1227 हैक्टयर भूमि में वादी का 1/2 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. एक का 71/386 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं. दो का 61/193 वां हिसा है, खसरा नम्बर 887, 888 कुल खसरा 02 कुल

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (राज.)

रकबा 5.3637 हैक्टयर भूमि में वादी का 1/2 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं. एक का 1/2 वां हिस्सा है तथा खसरा नम्बर 885 रकबा 1.9740 हैक्टयर भूमि में वादी का 1/2 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं. दो का 1/2 वां हिस्सा है इस प्रकार वादी तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो माफिक हक हिस्सा अनुसार संयुक्त रूप से साहूलियत अनुसार शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानून अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित आराजी है जिस पर वांदी तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो माफिक हक हिस्सानुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर कास्त करते आ रहे है वादी ने वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु कई बार प्रतिवादीगण को कहा लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते आ रहे है हाल ही में दिनांक 22/07/2024 को प्रतिवादी संख्या एक व दो अजनबी व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त आराजी खंसरा नम्बर 886 पर आये तथा वादग्रस्त आराजी को बैचान करने की गरज से दिखाने लगे इस पर वादी ने मना किया कि अभी तक वादग्रस्त आराजी अविभाजित है जिस पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो माफिक हक हिस्सांनुसार शामलाती रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिसका कानून अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है इसलिए अविभाजित आराजी के प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक सहखातेदार कास्तकार का समान हक व हिस्सा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या एक व दो को वादग्रस्त आराजी को बैचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इस पर प्रतिवादी संख्या एक व दो अत्यधिक नाराज हो गये तथा वादी को ऐलानिया रूप को धमकी दी कि वह वादग्रस्त आराजी की कीमती जमीन देखकर प्रतिवादी संख्या एक व दो अपना संम्पूर्ण हिस्सा अजनवी व्यक्तियो को बैचान कर देगा तथा वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल कर देगे जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिसके लिए वादी को उक्त वाद पत्र बाबत जारी करने स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा है। इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है कि :– वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर ग्राम रियां की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 886 रकाब 3.1227 हैक्टयर, खसरानम्बर 887, 888 कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.3637 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 885 रकबा 1.9740 हैक्टयर भूमि का वादी तथा प्रतिवादी सं. एक व दो के मध्य माफिक हक हिस्सा अनुसार माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा की डिकी सादिर फरमायी । वादी के हक में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावें की ग्राम रियां की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 886 रकबा 3.1227 हैक्टयर, खसरा नम्बर 887, 888 कुल खसरा 02 कुल रकबा 5.3637 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 885 रकबा 1.9740 हैक्टयर भूमि के वादी के 1/2 वां बंटसुदा कब्जासुद हक हिस्सा की जमीन में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें। न किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के हक में अता फरमावें।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी सं. 1 से 2 के सम्मन बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष का खण्डन नही होने पर तथा वकील वादी साक्ष्य नही करवाना चाहते है अतः वादी साक्ष्य बन्द की जाती है। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी । वकील वादी ने चाहे गए अनुतोष के अनुसार बाई मिट्स

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

एण्ड बाउण्ड्स अनुसार हक हिस्सानुसार कब्जे काश्त अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिकी जारी करने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर वादी का वाद काबिल स्वीकार कर मौके पर कब्जे काश्त बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को राजस्थान भू. राजस्व नियम 1959 के नियम 18 से 22 की अक्षरशः पालना करते हुए स्थायी सरंचना को छोड़कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कब्जे काश्त व हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.08.2024 को जारी की गई ।

प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार पीपाड़ शहर मौके पर जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18.09.2024 को पत्रांक भू.अ./2024/2450 द्वारा प्रस्तुत किया। जिसके पैरा सं. 03 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का निम्नानुसार विभाजन प्रस्तावित किया ।

ग्राम रियां

क्र. सं.	सहखातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्टयर)	किस्म जमीन	लगान रूपये	सीमाओ का वितरण जहाँ एक ही खसरे को विभाजन किया गया
1	गीतादेवी पत्नि सुखराम जाति मेघवाल व ओगड़राम पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन एक्सिस बैंक पीपाड़ शहर	885	1.9740	B I		संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
		886	3.1227	B I		संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
		887	0.1336	B I		संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
		03	5.2303			
2	गौरव चावला पुत्र जबरसिंह जाति खटिक सा. पीपाड़शहर खातेदार	887	2.7830	B I		संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
		888	2.5807	B I		संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
		02	5.3637			

बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर दोनो एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने पीडी पालना में तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिकी जारी किये जाने की सहमति प्रदान की । किसी ने भी किसी प्रकार की आपति नही जताई । अतः प्राथमिक डिकी की पालना में पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनोपरांत एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि मौजा रियां पटवार हल्का रियां भू.अ.नि. बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 886, 887, 888, 885 में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 18.09.2024 के पैरा सं. 03 व उपरोक्तानुसार किया जाकर सम्बन्धित काश्तकारों को संबधित हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उभय पक्षकारान एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य नौकर एजेन्ट/परिचित से करवाये इस अमर आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

पालना रिपोर्ट पेश करें । तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु तहरीर जारी हो । उभय पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

(हुक्माराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ए इजलास सुनाया गया।

(हुक्माराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर